राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ.1 (1)( )/स्था./सान्याअवि/18/1600 जयपुर, दिनांक : 15-04-2021

आदेश

विभागीय पूर्व आदेश क्रमांक 4215 दिनांक 19.01.2018 एवं 91698 दिनांक 10.4.2018 के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त विभागीय आदेश क्रमांक 91698 दिनांक 10.4.2018 के क्रम में अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ:

1. पालनहार योजना– ऑनलाईन योजना
2. मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना)– ऑनलाईन योजना
3. गाडिया लौहार कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान योजना– ऑफलाईन योजना
4. गाडिया लौहार महाराणा प्रताप भवन निर्माण अनुदान योजना– ऑफलाईन योजना
5. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के उपखण्ड स्तर पर दर्ज परिवादों का अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित करना।
6. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित डे–केयर, वृद्धाश्रम/नशामुक्ति केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
7. स्वाधार, उज्ज्वला केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
8. छात्रावास, अनुदानित छात्रावासों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
9. देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
10. छात्रवृति एवं सामाजिक सुरक्षा पेन्शन से सम्बन्धित कार्य।
11. ब्लॉक स्तर पर पेंशनर्स के गलत खाता संख्या को पेंशन स्वीकृतकर्ता के माध्यम से अपडेट एवं प्रमाणीकरण कराना तथा पेंशनर्स को ई–मित्र के माध्यम से होने वाले भौतिक सत्यापन के बारे में जागरूक करवाना।

विशेष योग्यजन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

1. आस्था योजना–ऑफलाईन
2. संयुक्त सहायता योजना–ऑफलाईन (पर्यवेक्षण कार्य)

34

3. राज्य विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना–ऑफलाईन
4. मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन स्वरोगार ऋण अनुदान योजना–ऑफ लाईन
5. सुखद विवाह योजना–ऑफलाईन
6. सिलिकोसिस पॉलिसी योजना।

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं:

1. राजकीय/गैर राजकीय पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं का पर्यवेक्षण कार्य
2. बाल श्रमिक पुनर्वास योजना का पर्यवेक्षण कार्य
3. बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान/गृहों, ग्राम/पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाना।
4. बाल श्रम एवं बाल शोषण तथा अन्य बाल संरक्षण विषयों पर विधि अनुरूप हस्तक्षेप व विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वाहन किया जाना।
5. उपखण्ड स्तर पर संचालित शिशु पालना गृह (क्रेच), प्रोत्साहन योजनान्तर्गत स्थानीय भामाशाहों से सम्पर्क कर राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करवाने एवं बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेश पर देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं फोस्टर केयर के प्रकरणों में गृह अध्ययन एवं संरक्षण की आवश्यकता बच्चों की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करवाया जाना, उपखण्ड क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में मौजूद बच्चों का चिन्हीकरण एवं उनके पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय स्थापित करना।
6. उपरोक्त विषयों के संबंध में संबंधित हितधारकों/एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय एवं निर्धारित अंतराल पर अपेक्षित रिपोर्ट तैयार कर जिला बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारिता विभाग को समय समय पर प्रेषित करना।
7. बाल अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन है, जो एक संवेदनशील विषय है, इस हेतु निर्देशानुसार कार्य करना।

राज0 अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाऐं:

1. राज0 अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लि0 के पर्यवेक्षण सम्बन्धित कार्य।
2. निगम की संचालित समस्त जिला कार्यालयों की योजनाओं का ब्लॉक स्तर पर लक्ष्यों का आवंटन एवं इनके पर्यवेक्षण कार्यक्रम के दौरान क्रियान्वयन संबंधी जानकारी द्वारा निम्न मॉनिटरिंग का कार्य सम्पादित:–
    - विभिन्न बैंकिंग/गैर बैंकिंग योजनाओं का ब्लॉक स्तर पर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना।

- बैंकिंग योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर विभिन्न बैंकों को भिजवाया जाना।
- बैंकिंग योजनाओं के विभिन्न पैडिंग आवेदनों के निस्तारण हेतु ब्लॉक स्तरीय शाखाओं के प्रबन्धकों से सम्पर्क कर आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया जाना।
- पात्र आवेदकों को जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर की आयोजित बैठक में निगम की योजनाओं की जानकारी देना तथा योजना के तहत् लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन/दस्तावेज एवं वसूली की कार्यवाही करवाना।

उक्त योजनाओं के संबंध में आवंटित बजट के अनुरूप ऑनलाईन एवं ऑफलाईन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा वित्तीय एवं तकनीकी व्यवस्था यथावत् पूर्व आदेश दिनांक 10.04.2018 के अनुसार रहेगी। विभाग की अन्य योजनाओं संबंधी पर्यवेक्षण, निरीक्षण, जॉच, सूचना संकलन आदि भी जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

15/4/2021

(ओ0 पी0 बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.1 (1)( )/स्था./सान्याअवि/18/1601-1850 जयपुर, दिनांक : 15-04-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्यमन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
7. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
8. उपनिदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर) मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावे।
10. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी.....
11. आदेश पत्रावली।

15/4/21

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)